

प्रेषक,

श्री लक्ष्मीकान्त,
अनुसचिव, शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (5) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 1972

विषय : बेसिक शिक्षा बोर्ड के गठन के फलस्वरूप शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की प्राप्ति व व्यय सम्बन्धी प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा आध्यादेश 1972 जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है के अन्तर्गत प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा कक्षा (1 से 8) के प्रबन्ध एवं प्रशासन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के साधारण गजट दिनांक 25-7-72 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6088/15 (5)-72-150/72 दिनांक 25-7-72 द्वारा बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को उक्त परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चूंकि अभी तक उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत परिषद् को स्थानान्तरित अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन वितरण करने तथा इस निमित्त शासन से अनुदान प्राप्त करने का प्रबन्ध उक्त बेसिक शिक्षा परिषद् नहीं कर रही थी। अतः असाधारण गजट दिनांक 4-8-72 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6164/15(5)-150/72 दिनांक 4-8-72 द्वारा, 31-8-72 तक उक्त आध्यादेश लागू होने के पूर्व प्रचलित प्रक्रिया की ही अन्तरिम अवधि में लागू कर दिया था। अब जब कि उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है प्रसांगागत अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सितम्बर 1972 के वेतन आदि जो 1-10-72 को तथा तत्पश्चात देय होगा की मद में शासन से अनुदान प्राप्त करने तथा वेतन वितरण करने के विषय में राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश देते हैं।

(1) उक्त अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन कार्यालय आकस्मिक व्यय आदि हेतु जो अनुदान शासन द्वारा उक्त आध्यादेश लागू होने के पूर्व जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय निकायों को दिया जाता था, वह अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन रखा जायेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह धनराशि बेसिक परिषद् की ओर से (on behalf of) प्राप्त तथा व्यय करेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् कोष निधि का एक व्यक्तिगत खाता लेखा (पी०एल०ए०) मुख्यालय पर ट्रेजरी में खोला जायेगा जिससे शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश आपरेट करेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा परिषद् की ओर से प्राप्त धनराशि उक्त खाते में जमा की जायेगी तथा व्यय हेतु अपेक्षित धनराशि आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा निकाली जायेगी।

(3) प्रत्येक जिला की ट्रेजरी में एक व्यक्तिगत खाता लेखा (पी०एल०ए०) खोला जायेगा जिसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपरेट करेंगे तथा अध्यापकों/कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य मदों में प्राप्त अनुदान की धनराशि उक्त खाते में जमाकर दी जायेगी। ज्यों ज्यों वेतन वितरण अथवा व्यय हेतु धन की आवश्यकता होगी त्यों-त्यों अपेक्षित धनराशि उक्त निधि से निकाली जायेगी।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर 2 और 3 में उल्लिखित परिषद् द्वारा या उसकी ओर से जमा की गई धनराशियों सम्बन्धी लेन-देन या उसमें से आहरण कोषागार के लेखों में, नियंत्रक एवं महालेखाकार का अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रधान शीर्षक 1 निक्षेप और अग्रिम भाग - 2 बिना ब्याज वाले निक्षेप-ग अन्य शिक्षा लेखे (क) स्थानीय निधियों (लोकल फण्ड) के निक्षेप के अन्तर्गत अन्तिम रूप से ले जाने वाले स्पष्ट लघु शीर्षक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निधि में लिखा जायेगा।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 364 तथा अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये निर्देश बैंकिंग खाते से अहरित्र धनराशियों पर लागू होंगे।

(5) उक्त अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था जिस प्रकार अब तक की जाती थी अग्रिम आदेश जारी होने तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। अन्तर केवल इतना होगा कि वेतन आदि के बिल जो अब तक जिला परिषदों के अध्यक्षों तथा अन्य स्थानीय निकायों के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा पारित किये जाते थे वह अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा पारित किये जायेगे।

(6) विभिन्न स्थानीय निकायों के क्षेत्र में स्थित स्कूलों के अध्यापकों अधिकारियों के विषय निधि में 31-8-72 तक जमा धनराशि का लेखा जोखा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हस्तान्तरित करने में कुछ समय लग सकता है। अतः 1-10-72 से एक नवीन भविष्य निधि खाता खोलकर सितम्बर मास के वेतन से संबंधित भविष्य निधि कटौती और इसी मद के तत्पश्चात् की प्रत्येक मास की कटौती उक्त निधि में जमा की जाय। 1-9-72 से जमा की गई धनराशि का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। जब 31-8-72 की तिथि तक भविष्य निधि में जमा की गई धनराशि का पूर्ण लेखा जोखा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध हो जायेगा तब 1-9-72 के पूर्व प्रचलित तथा इसके बाद रखे गये लेखें जोखे की इसी नवीन खोले गये भविष्य निधि के खाते में जमा कर दिया जाय।

(7) जब तक अध्यापकों/कर्मचारियों की भविष्य निधि में 31-8-72 तक जमा धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हस्तान्तरित नहीं हो जाती तब तक इस बीच में यदि कोई अध्यापक/कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में अग्रिम लेने की प्रार्थना करता है तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी।

उक्त अग्रिम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा अपेक्षित धनराशि उसके लेखे में 31-8-72 तक जमा धनराशि से जिला परिषद/स्थानीय निकायों द्वारा निकाली जायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को वितरित कर दी जायेगी। उक्त अग्रिम की अदायगी के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि 1-9-72 के पश्चात् उक्त निधि संबंधी खोले गये लेखे में जमा की जायेगी और ब्यौरा स्थानीय निकायों को भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2. इस मद में होने वाले व्यय आदि के लेखे की सम्परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश द्वारा नियमानुसार की जायेगी और इस हेतु देय सम्परीक्षा शुल्क का भार बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वहन किया जायगा।

3. यह आदेश वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग के अशासकीय संख्या यू० ओ० आडिट 217/दस दिनांक 27 नवम्बर, 1972 द्वारा प्रदत्त सहमति से प्रसारित किया जा रहा है।

भवदीय
लक्ष्मीकान्त
अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद